



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062026-273265
CG-DL-E-09062026-273265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2851]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2851]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

का.आ. 2945(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के क्रियान्वयन हेतु तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समस्त भारत में निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों (चिकित्सा उपकरण) को निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री गुल्हाने अक्षय दिनकर
2.	श्री अमित गौरव
3.	श्री सौम्यारंजन साहू
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार बर्नवाल
5.	श्री विकास कुमार
6.	श्री अजय कुमार छाबड़ा

7.	श्री देवेन्द्र कुमार पाल
8.	श्री अनिरुद्ध सिंह नेगी
9.	श्री सुदीश कुमार पटेल
10.	श्री विशाल शिवाजी कोकाटे
11.	श्री रोहित कुमार दास
12.	श्री उमंग वाष्णीय
13.	डॉ. मो. ओमैर अनवर
14.	डॉ. अरिंदम डे
15.	श्री जल सिंह
16.	श्री प्रदीप भड
17.	श्री वरुण सैनी
18.	श्री गणेश मारोतराव जुनघरे
19.	श्री प्रदीप कुमार रजक
20.	श्री रोहित कुमार सिंह
21.	श्री मुडे विनोद कुमार नायक
22.	श्री अंबुज कुमार

2. निरीक्षक जो नियुक्त किये गए हैं अधिनियम की धारा 21 एवं 22 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/08/2025-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2026

S.O. 2945(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints the following Drugs Inspectors (Medical Devices) as Inspectors for the purpose of the said Act for the whole of India for implementation of the Medical Devices Rules, 2017, namely:—

S. No.	Name
1.	Shri Gulhane Akshay Dinkar
2.	Shri Amit Gaurav
3.	Shri Soumyaranjan Sahoo
4.	Shri Surendra Kumar Barnwal
5.	Shri Vikash Kumar
6.	Shri Ajay Kumar Chhabra
7.	Shri Devendra Kumar Pal
8.	Shri Aniruddh Singh Negi
9.	Shri Sudeesh Kumar Patel
10.	Shri Vishal Shivaji Kokate
11.	Shri Rohit Kumar Das
12.	Shri Umang Varshney
13.	Dr. Md. Omair Anwar
14.	Dr. Arindam Dey
15.	Shri Jal Singh
16.	Shri Pardeep
17.	Shri Varun Saini
18.	Shri Ganesh Marotrao Junghare
19.	Shri Pradeep Kumar Rajak
20.	Shri Rohit Kumar Singh
21.	Shri Mude Vinod Kumar Naik
22.	Shri Ambuj Kumar

2. The Inspectors so appointed are hereby authorised to exercise the powers and shall perform the duties as specified in sections 21 and 22 of the said Act and the Medical Devices Rules, 2017 made thereunder.

[F. No. X.11014/08/2025-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.